संख्या-228/2018/189/22-2-2018-17(74)/2003

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष पुत्र श्री राजेन्द्र यादव, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-2821/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम 06.09.2016) दिनांक 23.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष पुत्र श्री राजेन्द्र यादव, जो नगला झम्मन-थाना ,एका-जनपद ,फिरोजाबाद का रहने वाला है। बकरियों द्वारा फसल खा लिये जाने को लेकर हुए झगड़े में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 15-12-1988 को शायं लगभग 08:00 बजे तमंचे एवं बंदूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/89 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 06.03.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.1999 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.01.2017 तक 23 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 03 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया है कि बकरियों द्वारा फसल खा लिये जाने को लेकर हुए झगड़े में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा एवं बंदूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, इस प्रकार बन्दी किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संतोष पुत्र श्री राजेन्द्र यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस रिट याचिका संख्या-24923/2017 संतोष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी संतोष (बन्दी संख्या-10661) पुत्र श्री राजेन्द्र यादव, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-228/2018/189(1)/22-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-228/2018/189@22-2-2018-17(74)/2003

दिनांक 28 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष पुत्र श्री राजेन्द्र यादव जो नगला झम्मन-थाना ,एका-जनपद ,फिरोजाबाद का रहने वाला है। बकरियों द्वारा फसल खा लिये जाने को लेकर हुए झगड़े में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 15-12-1988 को शायं लगभग 08:00 बजे तमंचे एवं बंदूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/89 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 06.03.1998 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.1999 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.01.2017 तक 23 वर्ष 00 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 03 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया है कि बकरियों द्वारा फसल खा लिये जाने को लेकर हुए झगड़े में बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचा एवं बंदूक से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा, इस प्रकार बन्दी किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संतोष पुत्र श्री राजेन्द्र यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in